निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1946 (श0)

(सं0 पटना 707) पटना, बुधवार, 31 जुलाई 2024

सं० 14 / मु०स०–20–01 / 2024–**4945 /** न०वि०एवंआ०वि०

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

20 जुलाई 2024

विषयः– राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन के संबंध में।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में शहरीकरण की दर में वृद्धि होने के कारण आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाना है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने के पश्चात् आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ है, परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकार द्वारा भी राज्य योजना के अन्तर्गत पेयजलापूर्ति, पथ एवं नाला निर्माण, नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ इत्यादि योजनाएँ अलग–अलग चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का स्वरूप एकीकृत नहीं है, फलस्वरूप शहरी विकास एवं शहरी सौन्दर्यीकरण की प्रक्रिया में सुधार की सम्भावनाएं हैं।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु एक ऐसी योजना प्रारम्भ किया जाना है, जिसमें जल निकास सहित चौड़ी, सुदृढ़, गुणवत्ता युक्त सड़कों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार तथा पार्कों, घाटों, जलाशयों इत्यादि का एक साथ प्रावधान हो ताकि राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में विकास की गति त्वरित हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 से एक नई योजना ''मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना'' के नाम से प्रवर्तित एवं कार्यान्वित किया जाना है।

2. इस योजना का कार्यक्षेत्र राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत होगा तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न प्रकार प्रावधान किये जाएंगे :–

(i) इस योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण, नाला निर्माण, पार्क निर्माण, तालाबों / घाटों का सौन्दर्यीकरण, नागरिक सुविधा हेतु जनोपयोगी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण इत्यादि कार्य किये जा सकेंगे।

(ii) ऐसे पथों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो नगर निकाय की हो तथा वे राष्ट्रीय / राज्य मार्ग अथवा पथ निर्माण विभाग के पथों / मुख्य सड़कों को लिंक सड़कों से जोड़ता हो एवं जनोपयोगी हो। इसके अलावा ऐसी सड़कें जो ज्यादा जनोपयोगी और ज्यादा आबादी को लाभान्वित करती हो, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी।

(iii) नालों के चयन में आउटफॉल एरिया को प्राथमिकता दी जाएगी। अत्यधिक जल–जमाव वाले क्षेत्रों के जल–निकासी हेतु ट्रंक चैनल बनाया जायेगा एवं उसे आउटफॉल चैनल से जोड़ा जाएगा, जिससे नगर निकायों में जल–जमाव की समस्या दूर होगी।

(iv) निर्मित सड़कों/नालों के किनारे पेड़–पौधे, पार्किंग स्थल एवं पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ तथा सड़क के दोनों तरफ प्रकाश की व्यवस्था किया जा सकेगा।

(v) सड़कों के बीच डिवाइडर के साथ अन्डर ग्राउण्ड केबलिंग/स्ट्रीट लाइटिंग/मास्क लाईट का प्रावधान किया जा सकेगा। बशर्ते कि सड़क की चौड़ाई पर्याप्त हो।

(vi) नागरिक सुविधाओं के अन्तर्गत झीलों/तालाबों/पार्कों/घाटों का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण तथा अन्य जनोपयोगी कार्य भी कराये जा सकेंगे।

(vii) इस योजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु प्रथम दो वर्षों में 2024–25 एवं 2025–26 में कर्णांकित राशि से तीन गुनी राशि की योजनाओं की कार्य–योजना जिला स्तर पर तैयार की जाएगी। तत्पश्चात् तृतीय वर्ष से राशि की उपलब्धता एवं योजनाओं की देनदारी के आलोक में विभाग द्वारा प्रतिवर्ष दिशा–निदेश निर्गत किया जाएगा।

(viii) योजनाओं का कार्यान्वयन ई० निविदा के माध्यम से किया जाएगा।

(ix) सड़कों का चयन करते समय महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों को ध्यान में रखा जाएगा।

(x) सड़कों को बनाने के क्रम में यात्री वाहनों जैसे बस, टैक्सी इत्यादि के लिए ठहराव का प्रावधान किया जा सकेगा।

(xi) योजनायें तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार सक्षम तकनीकी संस्थान/परामर्शी की सेवा ली जा सकती है तथा इसके लिए परियोजना लागत में प्रावधान किया जा सकेगा।

(xii) योजना कार्य की गुणवत्ता की जाँच तथा अन्य अनुषंगिक कार्य नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश/अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा।

2.2 अभियंत्रण की व्यवस्थाः–

2.2.1 योजना का कार्यान्वयन बुडा/बुडको कार्य एजेंसी के रूप में कार्य का सम्पादन करेंगे। राशि का प्रवाह बजट उपबंध के विरूद्ध इन कार्य एजेंसियों के PL खाता के माध्यम से किया जायेगा।

2.2.2 बुडा/बुडको द्वारा जिलावार कर्णांकित राशि के आधार पर चयनित योजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा तथा उन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर एवं सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कर कार्यान्वित कराया जाएगा।

2.3 संचालन समिति।– योजना की प्राथमिकता का निर्धारण जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा :–

(i)	संबंधित जिला के प्रभारी माननीय मंत्री	–	अध्यक्ष
(ii)	स्थानीय विधायक (सिर्फ संबंधित शहरी क्षेत्र)	–	सदस्य
(iii)	विधान पार्षद (जो जिले के किसी नगर निकाय के मतदाता हों तो वे उस जिला की समिति के सदस्य होंगे। यदि ऐसे माननीय स०वि०प० चाहें तो अलग से अनुरोध कर उस जिला के स्थान पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक जिला की समिति के सदस्य बनाये जाने का अनुरोध कर सकते हैं)	–	सदस्य
(iv)	जिला पदाधिकारी	–	सदस्य
(v)	पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
(vi)	जिला में अवस्थित सभी नगरपालिका के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी	–	सदस्य
(vii)	बुडा/बुडको के संबंधित कार्यपालक अभियंता	–	सदस्य

2.4 निधि की व्यवस्था :–

2.4.1 मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना मद से नगर विकास एवं आवास विभाग को राशि उपलब्ध करायी जाएगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए प्रत्येक वर्ष 500.00 करोड़ रुपये की राशि कर्णांकित की जाती है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जिलावार उक्त राशि का कर्णांकण जिले में अवस्थित नगर निकायों की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा। एक जिले में अवस्थित नगर निकायों के बीच भी राशि का कर्णांकण उपरोक्त विधि से जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

2.4.2 नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस राशि का व्यय बुडा/बुडको के माध्यम से किया जायगा। इस हेतु प्रक्रिया का निर्धारण नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

2.5 योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य दिशा–निर्देश :–

2.5.1 योजनाओं के चयन में अन्य विभागों द्वारा अथवा अन्य योजनाओं में ली गयी योजना/प्रस्तावित योजनायें सम्मिलित नहीं की जायेगी, जिससे एक ही योजना का दोहरीकरण अथवा पुनरावृति नहीं हो सके। किसी वित्तीय वर्ष मे प्राथमिकता सूची के किसी पथ/नाला/अन्य योजना का कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित/सम्पादित होता है तो उक्त योजना को प्राथमिकता सूची से हटा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नगर विकास एवं आवास विभाग को राज्य स्कीम एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में निम्नलिखित मदों में राशि उपलब्ध होती है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग, राज्य स्कीम, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम। यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित स्कीम का दोहरीकरण अथवा पुनरावृति नहीं हो।

2.5.2 मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत बनायी गयी सड़कें भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार होगी। विशेष स्थिति में राज्य सरकार इससे भिन्न विशिष्टियाँ भी निर्धारित कर सकती है। उसके लिए समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत निदेश/अनुदेश निर्गत किया जाएगा।

2.5.3 सभी निर्माण कार्यों का विभिन्न स्तरों पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी करायी जायेगी तथा उन्हें जाँच प्रतिवेदनों के साथ संधारित किया जायेगा। प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश/अनुदेश निर्गत किया जाएगा।

2.6 बुडा/बुडको के द्वारा लेखा संधारण किया जाएगा।

3. यह एक नई योजना है अतएव योजना के कार्यान्वयन हेतु नया बजट शीर्ष खोलकर बजट का प्रावधान किया जाएगा।

4. अतः राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

5. उपरोक्त पर दिनांक 19.07.2024 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–21 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/बुडको/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द किशोर,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 707-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in